सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान संपादक
प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी
निदेशक

देवनागरी लिपि
एवं
हिंदी वर्तनी का
मानकीकरण

सत्यमेव जयते

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

© भारत सरकार

संशोधित संस्करण 2024

नि:शुल्क

प्रकाशक :
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाष : 26105211
वेबसाइट : www.chd.education.gov.in
www.chdpublication.education.gov.in

देवनागरी लिपि
एवं
हिंदी वर्तनी
का मानकीकरण

प्रधान संपादक

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी

निदेशक

संपादक मंडल

अनिल बी.

उपनिदेशक

डॉ. नूतन पाण्डेय

सहायक निदेशक

रत्नेश कुमार मिश्र

सहायक निदेशक

वर्ष 2024 संस्करण के लिए विशेषज्ञ समिति

- प्रो. गिरीशनाथ झा, अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग
- प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित, लखनऊ, उ.प्र.
- प्रो. सदानंद प्रसाद गुप्त, गोरखपुर, उ.प्र.
- प्रो. नन्दकिशोर पांडेय, जयपुर, राजस्थान
- डॉ. सुरेश पंत, नोएडा, उ.प्र.
- प्रो. कुमुद शर्मा, नई दिल्ली
- प्रो. वी. रा. जगन्नाथन, चेन्नई, तमिळनाडु
- प्रो. खेमसिंह डहेरिया, भोपाल, म.प्र.
- प्रो. मंजुल भार्गव, प्रिंस्टन विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य
- डॉ. शुभंकर मिश्र, विश्व हिंदी सचिवालय, पोर्ट लुई, मॉरिशस
- प्रो. अर्जुन चव्हाण, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
- डॉ. योगेन्द्रनाथ मिश्र, आणंद, गुजरात
- डॉ. बालेन्दु शर्मा 'दाधीच', गुरुग्राम, हरियाणा
- प्रो. मीरा भार्गव, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य
- प्रो. के.सी. टुडू, संताली भाषा विशेषज्ञ, राँची
- श्री आलकजारी मुर्मू, संताली भाषा विशेषज्ञ, नई दिल्ली
- श्री बिश्वेश्वर बसुमतारी, बोडो भाषा विशेषज्ञ, कार्बी आंगलोंग, असम

विभागीय संकाय :

- डॉ. दीपक पाण्डेय, सहायक निदेशक
- श्री प्रदीप कुमार ठाकुर, मूल्यांकक
- श्री अच्युत कुमार सिंह, सहायक अनुसंधान अधिकारी

अनुक्रमणिका

	विषय	पृष्ठ संख्या
	आमुख	ix
1.0	देवनागरी : इक्कीसवीं सदी तक की यात्रा	1
1.1	देवनागरी : समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि	1
1.2	लिपि : मनुष्य की बौद्धिक संपदा के संरक्षण और संवहन का प्रश्न	1
1.3	ब्राह्मी लिपि और उससे प्रसूत देवनागरी	2
1.4	कंप्यूटर और देवनागरी का तालमेल	4
1.5	संविधान में अनुसूचित भाषाएँ और देवनागरी का दायित्व	4
2.0	मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक	6
2.1	हिंदी वर्णमाला	6
2.2	हिंदी अंक	9
2.3	बारहखड़ी	10
2.4	परिवर्धित देवनागरी	11
2.5	हिंदी वर्णमाला लेखन विधि	15
2.6	तकनीकी आरेखण पर अक्षरांकन	19
3.0	हिंदी वर्तनी का मानकीकरण	25
3.1	संयुक्त वर्ण	25
3.2	परसर्ग	26
3.3	संयुक्त क्रियापद	27

3.4	योजक चिह्न (-)	27
3.5	अव्यय	28
3.6	अनुस्वार (ं) तथा चंद्रबिंदु (ँ)	28
3.7	विसर्ग (:)	30
3.8	हल् चिह्न (्)	31
3.9	अवग्रह (ऽ)	31
3.10	स्वन परिवर्तन	31
3.11	'ऐ', 'औ' का प्रयोग	32
3.12	पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर'	32
3.13	'वाला' प्रत्यय	32
3.14	श्रुतिमूलक 'य', 'व'	33
3.15	आगत शब्द	33
3.16	अन्य नियम	34
4.0	हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता	35
4.1	संख्यावाचक शब्द	35
4.2	क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal Numbers)	35
4.3	भिन्नसूचक संख्याएँ (Fractional Numbers)	36
4.4	समय के लिए	36
5.0	अनुच्छेद विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग	37
	परिशिष्ट	38

आमुख

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' पुस्तिका का नवीन संशोधित संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। सन् 1960 से लेकर अब तक इसके कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें निदेशालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के हिंदी विद्वानों और भाषाविदों के साथ विचार-विमर्श कर समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक संशोधन किए गए हैं। प्रत्येक संस्करण में निदेशालय का यह प्रयास रहा है कि देवनागरी लिपि और हिंदी के मानकीकरण को अधिकाधिक शुद्ध, स्पष्ट, वैज्ञानिक और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया जाए। इस संस्करण को प्रकाशित करते हुए भी हमारे मन में यही भाव है।

संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत् सन् 1960 में जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई तब हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ निदेशालय को हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का अधिदेश भी सौंपा गया था। यही कारण है कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण को लेकर अब तक निदेशालय द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, भाषा प्रयोक्ताओं द्वारा उन्हें सहर्ष स्वीकृति दी जाती रही है। आज हिंदी न केवल भारत की संपर्क भाषा है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्वीकार्यता और तकनीकी सुदृढ़ता के कारण विश्व भाषा बनने की ओर भी अग्रसर है। ऐसे में उसकी वर्तनी तथा लिपि में एकरूपता लाना तथा मानकीकरण हेतु निर्धारित नियमों को अद्यतन करना अत्यंत प्रासंगिक और अपरिहार्य बन गया है।

इस संस्करण को अद्यतन करते समय समिति ने वर्तमान संदर्भों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी वर्तनी और मानकीकरण को सर्वसमावेशी बनाने का प्रयास किया है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इस संस्करण में दक्षिण के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं और हिंदी की अधिकांश बोलियों में प्रयुक्त होनेवाले 'ळ' वर्ण को हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में स्थान देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दीर्घ 'ॡ' को हटाना, श्रुतिमूलक 'य' और 'व' के प्रयोग को अद्यतन करना, उर्दू से देवनागरी में लिप्यंतरण करते समय हिंदी द्वारा आत्मसात् कर लिए गए शब्दों में नुक्ते के अनावश्यक प्रयोग

को कम करना, परिवर्धित लिपि चिह्नों में संविधान की आठवीं अनुसूची की भावनाओं के अनुरूप विस्तार आदि कुछ ऐसे प्रयास हैं, जिनसे विरोधाभासों और संभ्रम की स्थिति को न्यूनतम किया जा सके। आशा है कि उदात्त एवं सकारात्मक भाव से लिए गए इन निर्णयों का आप सब स्वागत करेंगे। इस संस्करण को अद्यतन करने में समिति सदस्यों के साथ-साथ निदेशालय परिवार के श्री अनिल बी., डॉ. नूतन पाण्डेय, श्री रत्नेश कुमार मिश्र ने अत्यधिक परिश्रम और मेहनत की है। निदेशालय परिवार का प्रमुख होने के नाते मैं उनके प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधित संस्करण को मानक मानते हुए दैनिक प्रयोग के साथ ही सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालयों, प्रकाशन संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों, मीडिया और सूचना तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा।

धन्यवाद!

—प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी 'देशगव्हाणकर'
निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय,
नई दिल्ली

1. देवनागरी : इक्कीसवीं सदी तक की यात्रा

1.1 देवनागरी : समृद्ध भाषिक परंपरा की प्रतिनिधि लिपि

विश्व की सभी बड़ी भाषाओं की लिपियों की तुलना में उच्चरित ध्वनियों को वैज्ञानिक विश्वसनीयता के साथ लिखे जाने की दृष्टि से देवनागरी लिपि की विशेष प्रतिष्ठा है। देवनागरी लिपि अपनी विशेषताओं के कारण ही हिंदी को एक ऐसी अनूठी वर्णमाला दे सकी है जहाँ वर्णों के क्रम, उनके वर्गीकरण आदि का मनुष्य के ध्वनि-तंत्र से विलक्षण सामंजस्य है। ऐसी व्यवस्था किसी अन्य लिपि में दुर्लभ है। देवनागरी लिपि में पर्याप्त ध्वनि चिह्न होने के कारण किसी भी उच्चरित ध्वनि को लिपिबद्ध करना सुकर तो है ही, साथ ही शब्दों की वर्तनी को सुनकर लिखा जा सकता है। निरंतर विकसमान भाषा लिपि के लिए नई-नई चुनौतियाँ लेकर आती रहती है और तदनुसार लिपि में नये चिह्न ग्रहण किए जाते हैं, हटाए जाते हैं या कभी-कभी उनकी आकृतियों में सुविधानुसार परिवर्तन किए जाते हैं।

1.2 लिपि : मनुष्य की बौद्धिक संपदा के संरक्षण और संवहन का प्रश्न

लिपि के संबंध में जो ज्ञात तथ्य हैं, उनसे संकेत मिलता है कि पूरे जीव-जगत में केवल मनुष्य ही लिपि का प्रयोग करता रहा है। लिपि का वर्तमान परिमार्जित स्वरूप जिस लंबी यात्रा का परिणाम है, उसका आरंभ चित्रलिपि से हुआ। चित्रलिपि (Pictograph), भावलिपि (Ideograph), संकेतलिपि (Logograph), ध्वन्यात्मक लिपि (Phonographic) एवं आक्षरिक लिपि (Alphabetic) लिपियों के विकासक्रम के अलग-अलग पड़ाव हैं। प्रागैतिहासिक काल के शिलालेखों, भित्तिचित्रों को देखकर यह अनुमान करना सहज है कि मनुष्य में अपने भीतर संचित सूचनाओं और ज्ञान को लिखकर सुरक्षित रखने की एक उत्कंठा रही है। किसी सतह पर अपने विचार लिखने या दर्ज करने के प्राचीनतम प्रमाण इंडोनेशिया के जावा द्वीप से प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक सीपी पर अंकित आड़ी-तिरछी रेखाएँ एक

ज्यामितीय अनुशासन में दिखाई देती हैं और सुचिंतित रूप से एवं प्रयोजनपूर्वक उकेरी गई हैं।* पुरातत्ववेत्ताओं का विचार है कि यह 4,30,000 वर्ष पुरानी और होमोइरेक्टस द्वारा बनाई हुई हो सकती हैं। विश्व में पाषाण-अभिलेख के, जिसमें प्रतीक-चिह्नों को सिलसिलेवार ढंग से उकेरे जाने का प्रयास हो, प्राचीनतम उदाहरण उत्तरी स्पेन के अल्तामिरा स्थान पर मिले गुफा-चित्र हैं जिन्हें 36000 से 15000 वर्ष पुराना बताया गया है। ये चिह्न (चित्र) आधुनिक मानव या होमोसेपियन्स द्वारा बनाए हुए होने का अनुमान है। भारत में मध्यप्रदेश स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय में पुरापाषाण काल के शैल-चित्र भी प्राचीन चित्रलिपि के उदाहरण हैं। ये मानव द्वारा अपने विचार, भावनाओं या सूचनाओं को लिखित रूप में संप्रेषित करने के प्रारंभिक प्रयास थे। इन चित्रलिपियों की एक विवशता यह थी कि ये अभिप्रेत विचारों का संकेत मात्र करते हैं। अत:, इनका आशय ग्रहण करने के लिए इनका कथ्य पुनर्सृजित करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका व्यक्ति की अपनी अनुमान-शक्ति की होती है। इस तरह एक ही कथ्य के अंतर्ग्रहण में दो भिन्न व्यक्तियों के निष्कर्ष भिन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि मानव सभ्यता निरंतर इस उद्यम में लगी रही है कि एक ऐसी आदर्श लिपि बनाई जाए जिसमें विचारों को नितांत वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति मिल सके।

1.3 ब्राह्मी लिपि और उससे प्रसूत देवनागरी

सर्वाधिक स्वीकार्य ऐतिहासिक स्थापना के अनुसार आधुनिक लिपि की शुरुआत मेसोपोटामिया की क्यूनीफॉर्म(कीलाकार) लिपि से मानी जाती है। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य ये संकेत करते हैं कि इसका पहले-पहल प्रयोग व्यापारिक लेन-देन के हिसाब के लिए किया जाता था। इसी प्रकार प्राचीनतम भारतीय लिपियों में सिंधु-घाटी सभ्यता की लिपि का नाम आता है। इस लिपि को पूरी तरह पढ़ने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली है अत:, पूर्वापर लिपियों से भी इसका संबंध स्पष्ट नहीं है।

लिपियों की आबूगीदा प्रणाली, जिसमें बृहत्तर ब्राह्मी-लिपि परिवार आता है, देवनागरी का उद्‌गम है। इस तरह की लेखन प्रणाली में व्यंजन वर्ण के साथ स्वर के संयोजन से एक स्वतंत्र इकाई बनती है और इन इकाइयों की एक श्रृंखला होती है। प्राचीन ब्राह्मी लिपि 500 ई.पू. से लेकर 350 ई. तक चलती रही। इसके बाद भारतीय इतिहास में कला-साहित्य के उत्कर्ष

* The Guardian (International Edition) – Report: Australian Associated Press- Date 03.12.2014

का स्वर्णकाल समझे जाने वाले गुप्त-काल में प्राचीन ब्राह्मी लिपि की दो प्रचलित शैलियों में से उत्तरी शैली से विकसित लिपि को गुप्त शासकों ने 'गुप्तलिपि' नाम दिया। गुप्तलिपि से ही कुटिल लिपि का विकास हुआ और इसका प्रभावकाल छठी शताब्दी से लेकर आठवीं शताब्दी तक माना जाता है। देवनागरी का विकास कुटिल लिपि से हुआ। नवीं शताब्दी से अद्यपर्यंत देवनागरी निरंतर परिष्कृत-संशोधित होती आई है।

विश्व में लैटिन, चीनी और अरबी के बाद देवनागरी सर्वाधिक व्यवहार की जाने वाली लिपि है। अतः, देवनागरी के सतत विकास का प्रश्न उन सभी भाषाओं के लिखित साहित्य और उसमें अभिव्यक्त संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि देवनागरी लिपि को इस प्रकार अद्यतन करते रहने की चुनौती है जिससे वह इन सभी भाषाओं के कथ्यों को उसी कौशल के साथ अभिलिखित कर सके जैसी अन्य विश्वस्तरीय भाषाओं की लिपियाँ कर रही हैं।

देवनागरी लिपि की जिस विकास यात्रा की कहानी ऊपर कही गई है, उसमें कई वर्णों के वैकल्पिक रीति से लिखे जाने, संयुक्ताक्षर बनाने की अलग-अलग शैली, अनुस्वार-चंद्रबिंदु आदि के प्रयोग को लेकर बहुत ऊहापोह की स्थिति रही है। नीचे की सारणी में वर्णों को लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियों को देखें—

प्रचलित रूप	पुराना रूप
अ	ग्र
ख	रव
झ	भ्ह
ण	रा

इसके अतिरिक्त देवनागरी वर्णों से बनाए जाने वाले संयुक्ताक्षरों में भी एकाधिक विधियाँ प्रचलित रही हैं। आगे के अध्याय में इस विषय का सोदाहरण विवेचन किया गया है। वस्तुतः, लिपि का विकास एक धीमी प्रक्रिया है अतः, पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी के संधिकाल में दुविधा की ऐसी स्थितियाँ स्वाभाविक रूप से बन सकती हैं। आज के समय की मुश्किल यह है कि तकनीक पर हमारी निर्भरता ने भाषा, लिपि संबंधी अपेक्षाओं को बहुत बड़ा कर दिया है और एक विश्वस्तरीय भाषा के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को तैयार हिंदी के लिए उसकी लिपि को मानक बनाना एक अपरिहार्यता बन गई है।

1.4 कंप्यूटर और देवनागरी का तालमेल

कंप्यूटर के लिए एक व्यवहार्य भाषा के रूप में हिंदी को लाने की दिशा में यह आवश्यक शर्त है कि इसकी लिपि एक स्पष्ट व्यवस्था पर आधारित हो। यूनिकोड में उपलब्ध देवनागरी अभी भी कई उलझनों से भरी है। इसमें अलग-अलग फॉण्ट अपनी-अपनी शैली में अक्षरों और संयुक्ताक्षरों को डिज़ाइन कर रहे हैं। ऐसे में कई बार अलग-अलग कंप्यूटर एक ही टेक्स्ट या पाठ को अलग-अलग प्रकार से दर्शाते हैं। यूनिकोड में हिंदी को आवंटित कोड का विस्तार U+0900 से लेकर U+097F तक है। इसमें कुल मिलाकर 128 कोड पॉइंट हैं और अद्यतन जानकारी के अनुसार देवनागरी के लिए अब कोई भी अतिरिक्त कोड पॉइंट आरक्षित नहीं है। अत:, देवनागरी में लिखी जाने वाली सभी भाषाओं के सभी लिपि चिह्नों को इन्हीं कोड के अंदर व्यवस्थित किया जाना है। लिपि और उसके साथ वर्तनी का मानकीकरण इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है ताकि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी एक विश्वसनीय तकनीकी भाषा-विकल्प बन सके।

1.5 संविधान में अनुसूचित भाषाएँ और देवनागरी का दायित्व

देवनागरी लिपि के दायित्व की परिधि के विस्तार का अनुमान करने के लिए भारत के संदर्भ में कुछ आँकड़ों को अवश्य देखा जाना चाहिए। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएँ और 544 अन्य भाषाएँ हैं। इन सभी को भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाटिक और चीनी-तिब्बती परिवारों में बाँटा गया है। 'भारत आर्य परिवार में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओड़िआ, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, 'द्रविड़ परिवार में तमिळ, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाळम, 'आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार में संताली और 'चीनी-तिब्बती परिवार' में बोडो तथा मणिपुरी आदि भाषाएँ आती हैं। वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में बाईस भाषाएँ सम्मिलित हैं और इनमें देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या है—

क्र. सं.	भाषा	लिपि
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी
3.	कोंकणी	देवनागरी

4.	डोगरी	देवनागरी
5.	नेपाली	देवनागरी
6.	बोडो	देवनागरी
7.	मराठी	देवनागरी
8.	मैथिली	देवनागरी, तिरहुता
9.	संताली	देवनागरी, ओलचिकि
10.	गुजराती	गुजराती
11.	कश्मीरी	अरबी–फारसी
12.	सिंधी	देवनागरी, अरबी–फारसी
13.	असमिया	असमिया
14.	ओड़िआ	ओड़िआ
15.	उर्दू	अरबी–फारसी
16.	कन्नड़	कन्नड़
17.	तमिळ	तमिळ
18.	तेलुगु	तेलुगु
19.	पंजाबी	गुरमुखी
20.	बांग्ला	बांग्ला
21.	मणिपुरी	मैतेई
22.	मलयाळम	मलयाळम

* * *

2. मानक हिंदी वर्णमाला तथा अंक

2.0 वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप हैं। वर्ण भाषा के मौखिक रूप के प्रतीक होते हैं। वर्णों को ध्वनि चिह्न भी कहा जाता है। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एकरूपता बनाए रखने के लिए 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार-विमर्श के पश्चात् हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया गया है जो इस प्रकार है—

2.1 हिंदी वर्णमाला

2.1.1 स्वर

स्वर वर्ण			
अ	आ	इ	ई
उ	ऊ	ऋ	ए
ऐ	ओ	औ	
अनुस्वार एवं विसर्ग			
अं	अः		

- कुल स्वर 11 हैं।
- संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में ॠ तथा ऌ भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है।

2.1.2 व्यंजन

मूल व्यंजन				
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म
य	र	ल	व	
श	ष	स	ह	
संयुक्त व्यंजन				
क्ष	त्र	ज्ञ	श्र	
उत्क्षिप्त व्यंजन				
ड़	ढ़			
विशिष्ट व्यंजन				
ळ				

- मूल व्यंजनों की संख्या : 33; व्यंजनों की कुल संख्या : 40
- क्ष(क्+ष), त्र(त्+र), ज्ञ(ज्+ञ), श्र(श्+र) हिंदी वर्णमाला के 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
- 'ळ' वर्ण का प्रयोग हिंदी की प्रमुख बोलियों यथा हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊँनी के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग करने वाली मराठी जैसी समृद्ध भाषाओं में भी है। इसके अतिरिक्त देवनागरीतर लिपियों वाली भारतीय भाषाओं यथा तमिळ, तेलुगु, मलयाळम, कन्नड़ और ओड़िआ में भी 'ळ' ध्वनि का व्यापक प्रयोग है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं (व्यक्ति, स्थान, भू-आकृतियों के नामों में) में इनके प्रयोग किए जाने का अवकाश अपेक्षित है। अत: वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ळ वर्ण को स्थान दिया गया है।
- व्यंजनों को वर्णमाला में सामान्यत: स्वर 'अ' के साथ मिलाकर लिखा जाता है।

परिवर्धित देवनागरी लिपि में स्वीकृत लिपि-चिह्न :

भारतीय भाषाओं के विशिष्ट स्वर					
क्र. सं.	**परिवर्धित देवनागरी वर्ण**	**मात्रा**	**वर्ण**	**मात्रा**	**वर्ण**
1.	ह्रस्व ए, ओ	ॆ	ऎ	ॊ	ऒ
2.	कश्मीरी	ॖ	ॶ	ॗ	ॷ
		ॅ	अॅ	ॉ	ऑ
3.	संताली	ा॑	अ॑	ॽ	
		ा़	आ़	े़	ए़
		ो़	ओ़	ो़	ओ़
व्यंजन					
4.	कश्मीरी चवर्ग	च़	छ़	ज़	
5.	सिंधी	ॻ	ॼ	ॾ	ॿ
6.	बांग्ला, असमिया	य़			
7.	तमिळ और मलयाळम	ऴ			
8.	तमिळ	न̱			
9.	तमिळ, मलयाळम, तेलुगु, कन्नड़	र̱			
10.	उर्दू	क़	ख़	ग़	ज़
		फ़			
11.	तमिळ	ऩ			
12.	मलयाळम	ऱ्			
13.	संताली	व़			

2.1.1 अनुस्वार (ं) और चंद्रबिंदु (ँ)

अनुस्वार एक व्यंजन है और चंद्रबिंदु स्वर की अनुनासिकता का अभिलक्षण। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं। अत: हिंदी में अनुस्वार (ं) और चंद्रबिंदु (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे।

2.1.2 विसर्ग : प्रात: (देखें संदर्भ 3.7)

2.1.3 हल् चिह्न : उद्भव (देखें संदर्भ 3.8)

2.1.4 आगत चिह्न :

2.1.4.1	अवग्रह	ऽ	सोऽहं	(देखें संदर्भ 3.9)
2.1.4.2	अर्धचंद्र	ऑ	डॉक्टर	

2.2 हिंदी अंक

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। परंतु राष्ट्रपति, संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ-साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

2.2.1 भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

2.2.2 देवनागरी अंक

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

2.3 बारहखड़ी

क	का	कि	की	कु	कू	के	कै	को	कौ	कं	कः
ख	खा	खि	खी	खु	खू	खे	खै	खो	खौ	खं	खः
ग	गा	गि	गी	गु	गू	गे	गै	गो	गौ	गं	गः
घ	घा	घि	घी	घु	घू	घे	घै	घो	घौ	घं	घः
च	चा	चि	ची	चु	चू	चे	चै	चो	चौ	चं	चः
छ	छा	छि	छी	छु	छू	छे	छै	छो	छौ	छं	छः
ज	जा	जि	जी	जु	जू	जे	जै	जो	जौ	जं	जः
झ	झा	झि	झी	झु	झू	झे	झै	झो	झौ	झं	झः
ट	टा	टि	टी	टु	टू	टे	टै	टो	टौ	टं	टः
ठ	ठा	ठि	ठी	ठु	ठू	ठे	ठै	ठो	ठौ	ठं	ठः
ड	डा	डि	डी	डु	डू	डे	डै	डो	डौ	डं	डः
ढ	ढा	ढि	ढी	ढु	ढू	ढे	ढै	ढो	ढौ	ढं	ढः
ण	णा	णि	णी	णु	णू	णे	णै	णो	णौ	णं	णः
त	ता	ति	ती	तु	तू	ते	तै	तो	तौ	तं	तः
थ	था	थि	थी	थु	थू	थे	थै	थो	थौ	थं	थः
द	दा	दि	दी	दु	दू	दे	दै	दो	दौ	दं	दः
ध	धा	धि	धी	धु	धू	धे	धै	धो	धौ	धं	धः
न	ना	नि	नी	नु	नू	ने	नै	नो	नौ	नं	नः
प	पा	पि	पी	पु	पू	पे	पै	पो	पौ	पं	पः
फ	फा	फि	फी	फु	फू	फे	फै	फो	फौ	फं	फः
ब	बा	बि	बी	बु	बू	बे	बै	बो	बौ	बं	बः
भ	भा	भि	भी	भु	भू	भे	भै	भो	भौ	भं	भः
म	मा	मि	मी	मु	मू	मे	मै	मो	मौ	मं	मः
य	या	यि	यी	यु	यू	ये	यै	यो	यौ	यं	यः

र	रा	रि	री	रु	रू	रे	रै	रो	रौ	रं	रः
ल	ला	लि	ली	लु	लू	ले	लै	लो	लौ	लं	लः
व	वा	वि	वी	वु	वू	वे	वै	वो	वौ	वं	वः
श	शा	शि	शी	शु	शू	शे	शै	शो	शौ	शं	शः
ष	षा	षि	षी	षु	षू	षे	षै	षो	षौ	षं	षः
स	सा	सि	सी	सु	सू	से	सै	सो	सौ	सं	सः
ह	हा	हि	ही	हु	हू	हे	है	हो	हौ	हं	हः
ड़	ड़ा	ड़ि	ड़ी	ड़ु	ड़ू	ड़े	ड़ै	ड़ो	ड़ौ	ड़ं	ड़ः
ढ़	ढ़ा	ढ़ि	ढ़ी	ढ़ु	ढ़ू	ढ़े	ढ़ै	ढ़ो	ढ़ौ	ढ़ं	ढ़ः
ळ	ळा	ळि	ळी	ळु	ळू	ळे	ळै	ळो	ळौ	ळं	ळः

नोट : व्यंजनों के साथ 'ऋ' का संयोग होने पर शब्दों का निर्माण इस तरह होता है—कृपा, गृह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, मृत, शृंगार, सृष्टि। बारह खड़ी में 'ङ' और 'ञ' नहीं रखे गए हैं। इनका प्रयोग केवल संयुक्ताक्षर के रूप में ही होता है।

2.4 परिवर्धित देवनागरी

परिवर्धित देवनागरी, देवनागरी लिपि का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक-चिह्न (विशेषक चिह्न) जोड़े गए हैं। परिवर्धित चिह्नों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थभेदकता की स्थिति में संबंधित भाषा की विशिष्ट ध्वनियों का लेखन संभव हो सके।

देवनागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के लिप्यंतरण का सशक्त माध्यम बनाने के लिए यह अपेक्षित है कि देवनागरी में अन्य भाषाओं की ध्वनियों के सूचक प्रतीक चिह्नों का विकास किया जाए। अत: विभिन्न भाषाओं के भाषा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 'परिवर्धित देवनागरी' का विकास किया गया है, जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के साथ-साथ कश्मीरी, बांग्ला, मराठी, ओड़िआ तथा असमिया भाषाओं के विशिष्ट स्वरों और व्यंजनों के साथ-साथ सिंधी और उर्दू की विशिष्ट ध्वनियों के लिप्यंतरण के लिए देवनागरी में अपेक्षित परिवर्धन किया गया।

देवनागरी लिपि में जिन ध्वनियों के लिए कोई चिह्न उपलब्ध नहीं है, अर्थात् जो ध्वनियाँ हिंदी भाषा में स्वनिमिक (Phonemic) स्तर पर विद्यमान नहीं हैं, उनके लिए ही विशेषक चिह्न निर्धारित किए गए। उदाहरण के लिए दक्षिण भारतीय भाषाओं एवं कश्मीरी में ह्रस्व 'ए' और 'ओ' उपलब्ध हैं किंतु देवनागरी में वे स्वनिमिक स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं।

अनेक भारतीय भाषाओं की वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के समान है परंतु भाषा विशेष में कुछ वर्णों का उच्चारण सामान्य हिंदी के उच्चारण से भिन्न है। यह भाषाओं के ध्वन्यात्मक व्यतिरेक (Phonetic Contrast) का विषय है।

परिवर्धित देवनागरी (विशेषक चिह्न एवं यूनिकोड)

संविधान की अष्टम अनुसूची में परिगणित अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए देवनागरी लिपि में जो विशेषक चिह्न (Diacritical Marks) जोड़े गए, उनकी अद्यतन स्थिति यहाँ वर्णित है।

भारतीय भाषाओं के विशिष्ट स्वर						
क्र. सं.	परिवर्धित देवनागरी वर्ण	मात्रा (यूनिकोड कुंजी सहित)	वर्ण (यूनिकोड कुंजी सहित)	मात्रा (यूनिकोड कुंजी सहित)	वर्ण (यूनिकोड कुंजी सहित)	
1.	ह्रस्व ए, ओ	ॆ (0946)	ऎ (090E)	ॊ (094A)	ऒ (0912)	
2.	कश्मीरी	ॖ(0956)	ॶ(0976)	ॗ(0957)	ॷ(0977)	
		ॅ(0945)	ॲ(0972)	ॉ(0949)	ऑ(09114)	
		ऻ(093B)	ॳ(0973)	ॽ(097D)		
3.	संताली	ा़*	आ़*	े़*	ऐ़*	
		ो़*	ओ़*			

* यूनिकोड कुंजी आवंटित नहीं

भारतीय भाषाओं के विशिष्ट व्यंजन					
4.	कश्मीरी चवर्ग	च़	छ़	ज़(095B)	
5.	सिंधी	ॻ (0978)	ॼ (097C)	ॾ(097E)	ॿ(097F)
6.	बांग्ला, असमिया	य़ (095F)			
7.	तमिळ(ழ) मलयाळम(ഴ)	ऴ (0934)			
8.	तमिळ(ள)	ऩ (0929)			
9.	तमिळ, मलयाळम, तेलुगु, कन्नड़	ऱ (0931)			
10.	उर्दू	क़ (0958)	ख़ (0959)	ग़ (095A)	ज़ (095B)
		फ़ (095E)			
देवनागरी में लिप्यंतरण हेतु अन्य अपेक्षित जानकारी					
11.	तमिळ	ற்ற	ट्र		
12.	तमिळ	ன்ற	न्र		
13.	मलयाळम	ററ	ऱ्र		

मैथिली : भऽ/कऽ अथवा भ'/क' के स्थान पर यूनिकोड का ॑(093A) चिह्न का उपयोग करते हुए भ॑/क॑ के रूप में लिखा जाए।

मणिपुरी : मणिपुरी की मौखिक भाषा में दो तरह के तान (tone) स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं परंतु इसकी लिपि 'मैती' में उसके लिए कोई तान (tone) अंकित नहीं किया जाता।

पंजाबी : इसी प्रकार पंजाबी भाषा भी तानयुक्त (tonal) भाषा है, लेकिन पंजाबी वर्तनी में उसका कोई तान अर्थात् विशेषक चिह्न अंकित नहीं किया जाता।

प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए कोष्ठकों में दी गई कुंजी संख्या यूनिकोड से साभार उद्धृत है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबलिंक :

http://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf पर उपलब्ध है।

विशेषक चिह्नों की सूची की विशेषज्ञ समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

2.5 हिंदी वर्णमाला लेखन विधि

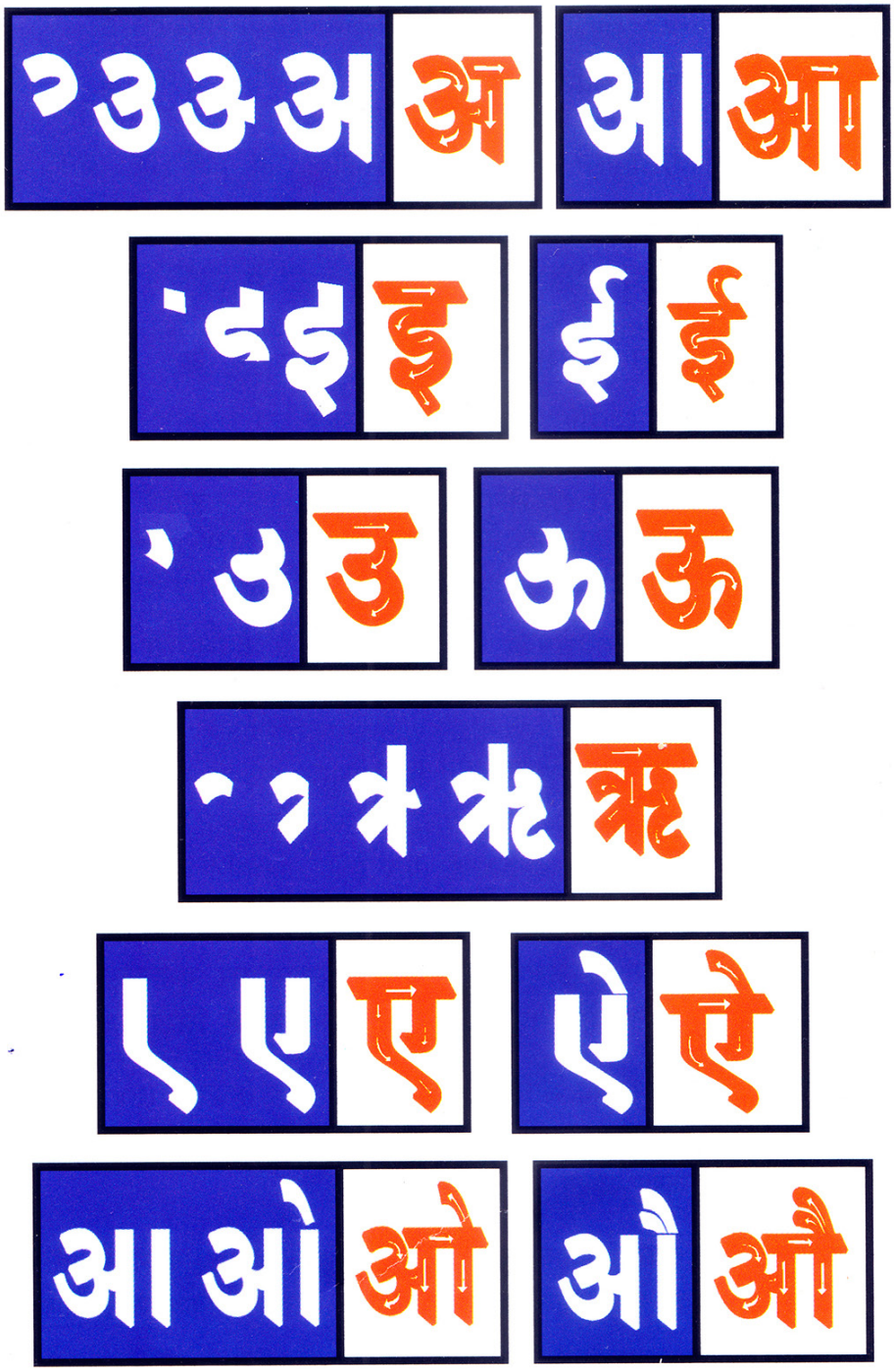

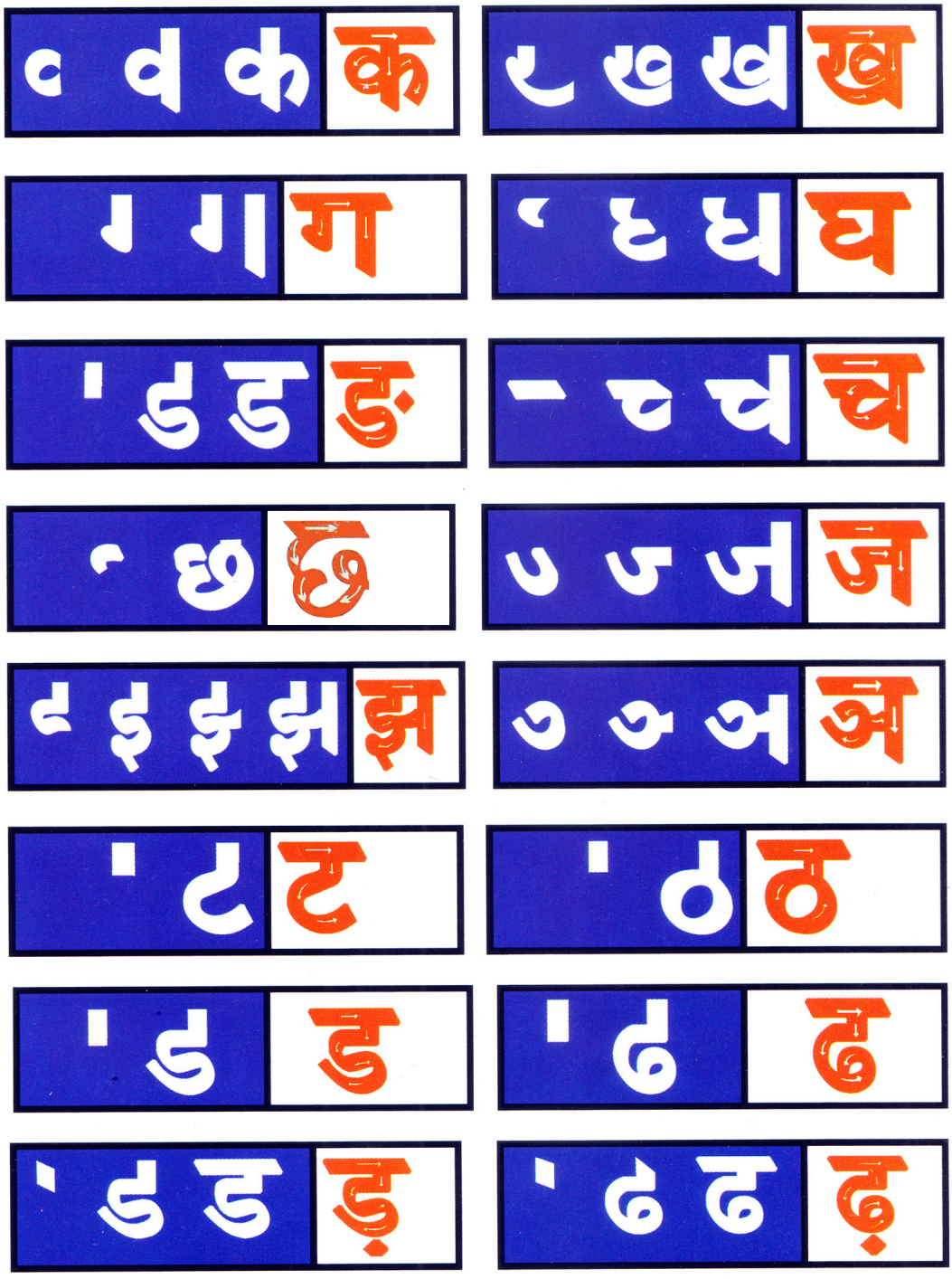
क ख
ग घ
ङ च
छ ज
झ ञ
ट ठ
ड ढ
ड़ ढ़

ण
त
थ
द
ध
न
प
फ
ब
भ
म
य
र
ल

व
श
ष
स
ह
क्ष
त्र
ज्ञ
श्र
ळ

2.6 तकनीकी आरेखण पर अक्षरांकन

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित—खंड 5 आवर्धित देवनागरी अक्षर [IS 9609 (खंड 5) : 1998]

(पुनर्पुष्ट वर्ष 2014 एवं 2021)

2.6.1 कार्य परिधि

यह मानक (खंड 5) तकनीकी आरेखण एवं संबद्ध दस्तावेजों में प्रयोग के लिए आवर्धित देवनागरी अक्षरों में अनुपात का निर्धारण तथा आकार-प्रकार तय करता है। इसका मुख्य प्रयोजन स्टेंसिल से लिखे जाने वाले अक्षरों से जुड़ा है, किंतु यह हस्तलेखन एवं दूसरी उपयुक्त विधियों के लिए भी समान रूप से व्यवहार्य है।

2.6.2 संदर्भ

इस पाठ में उल्लिखित संदर्भों के द्वारा इस मानक के प्रावधान तैयार किए गए हैं। प्रकाशन के समय प्रस्तुत संस्करण ही मान्य था। सभी मानक समीक्षा की परिधि में आते हैं एवं इस मानक पर आधारित करारनामे से संबंधित सभी पक्षकारों को नीचे दिए गए मानक के सबसे अद्यतन संस्करण के प्रयोग की संभावनाएँ तलाशने हेतु प्रयास करने का आग्रह किया जाता है—

IS संख्या	शीर्षक
9609 (खंड 1) : 1983/ISO 3098-1 : 1974	तकनीकी आरेखण पर अक्षरांकन : खंड 1 अंगरेजी अक्षर

2.6.3 सामान्य आधार

2.6.3.1 तकनीकी आरेखण पर अक्षरांकन के महत्वपूर्ण घटक हैं—

(क) पठनीयता

(ख) एकरूपता

(ग) सूक्ष्म फिल्मांकन एवं अन्य दृश्य प्रस्तुतियों के लिए अनुकूलता

2.6.3.2 ऊपरिलिखित मानदंडों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नियमों का अनुसरण अपेक्षित होगा।

2.6.3.2.1 किन्हीं दो अक्षरों के बीच किसी प्रकार के भ्रम-निवारण हेतु इतना स्पष्ट अंतर होना चाहिए कि उनमें सूक्ष्म विकृति होने पर भी पहचाना जा सके।

2.6.3.2.2 सूक्ष्म फिल्मांकन एवं अन्य दृश्य प्रस्तुतियों में दो आसन्न-रेखाओं अथवा अक्षरों के मध्य कम-से-कम रेखा की मोटाई के दुगने के बराबर अंतर अवश्य होना चाहिए। कृपया आरेख (1) एवं (2) तथा सारणी (1) एवं (2) देखें यदि भिन्न-भिन्न मोटी वाली दो आसन्न-रेखाएँ हैं तो उनके बीच का अंतर कम-से-कम अपेक्षाकृत मोटी रेखा के दुगुने के बराबर होना चाहिए।

2.6.3.3 संख्या एवं अन्य संकेतक IS 9606 (खंड-1) के अनुसार होंगे।

2.6.4 विन्यास

अक्षरों के विन्यास के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे—

2.6.4.1 अक्षरों की ऊँचाई के लिए 'h' विन्यास का आधार माना गया है। (सारणी 1 एवं 2 देखें)।

2.6.4.2 अक्षरांकन के लिए मानक ऊँचाई 'h' का सीमा-निर्धारण इस प्रकार है—

2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14 एवं 20 मिलीमीटर

'k', 'l', 'm', 'n', 'u' एवं 't' आदि विन्यास, अक्षर की ऊँचाई 'h' पर आधारित है। कृपया आरेख (3) एवं (4) देखें। मानक विन्यास इस प्रकार हैं—

$k = (3/2)\ h$	$n = (1/2)\ h$
$l = (7/6)\ h$	$u = (1/4)\ h$
$M = (5/6)\ h$	$t = (1/10)\ h$

2.6.4.2.1 कागजों के आकार के अनुसार विन्यासों में मानक वृद्धि से व्युत्पन्न अक्षरों की ऊँचाई सीमा $\sqrt{2}$ के अनुपात में होगी।

2.6.4.3 किसी भी स्थिति में h, 2.5 मिलीमीटर से कम नहीं हो सकता है।

2.6.4.4 d/h, 1/14, 1/10 का संस्तुत अनुपात सारणी (1) एवं (2) में दिए गए प्रदर्श के अनुरूप रेखा की न्यूनतम मोटाई को दृष्टिगत रखते हुए सर्वाधिक किफायती होंगे।

2.6.4.5 आधार-रेखा का न्यूनतम अंतराल और शब्दों के बीच में न्यूनतम अंतराल के लिए अक्षरों के बीच का स्थान सारणी (1) एवं (2) [आरेख (1) एवं (2)] में द्रष्टव्य हैं।

2.6.4.6 संयुक्त व्यंजनों अर्थात् अर्ध व्यंजन और पूर्ण व्यंजन का सहयोग हो अथवा स्वर मात्रा 'ि' के लिए हम विन्यास 'k' और 'h' का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा 2.6.4.2 में दर्शाया गया है।

2.6.5 नमूने

नमूना आरेख (3) में दिए गए नमूने (3) एवं (4) में स्थापित सिद्धांत की विवेचना हेतु दिशा-निर्देश मात्र हैं।

आरेख-1 अक्षरांकन के लिए नमूना (h = 14)

सारणी-1

क्र. सं.	विशेषताएँ		अनुपात	विन्यास						
1.	अक्षरांकन की ऊँचाई	h	(14/14)h	2.5	3.5	5	7	10	14	20
2.	अक्षरों के बीच अंतराल	a	(2/14)h	0.35	0.5	0.7	1.0	1.4	2	2.8
3.	आधार-रेखाओं का न्यूनतम अंतराल (उर्ध्व रेखा एवं पुच्छ सहित)	b	(28/14)h	6	8.5	12	17	24	34	48
4.	शब्दों के बीच न्यूनतम अंतराल	e	(6/14)h	1.05	1.5	2.1	3	4.2	6	8.4
5.	रेखाओं की मोटाई	d	(1/14)h	0.18	0.25	0.35	0.5	0.7	1	1.4

टिप्पणी—दो अक्षरों के बीच अंतराल a को घटाकर आधा किया जा सकता है यदि वे बेहतर दृश्य प्रभाव प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहे हो। ऐसी स्थिति में रेखा की मोटाई d के बराबर होगी।

आरेख-2 अक्षरांकन के लिए नमूना (h = 10)

सारणी-2

क्र. सं.	विशेषताएँ		अनुपात	विन्यास						
1.	अक्षरांकन की ऊँचाई	h	(10/10)h	2.5	3.5	5	7	10	14	20
2.	अक्षरों के बीच अंतराल	a	(2/10)h	0.5	0.7	1	1.4	2	2.8	4
3.	आधार-रेखाओं का न्यूनतम अंतराल (उर्ध्व रेखा एवं पुच्छ सहित)	b	(24/10)h	6	8.5	12	17	24	34	48
4.	शब्दों के बीच न्यूनतम अंतराल	e	(6/10)h	1.5	2.1	3	4.2	6	8.4	12
5.	रेखाओं की मोटाई	d	(1/10)h	0.25	0.35	0.5	0.7	1	1.4	2

टिप्पणी—दो अक्षरों के बीच अंतराल a को घटाकर आधा किया जा सकता है यदि वे बेहतर दृश्य प्रभाव प्रस्तुत कर रहे हों। ऐसी स्थिति में रेखा की मोटाई d के बराबर होगी।

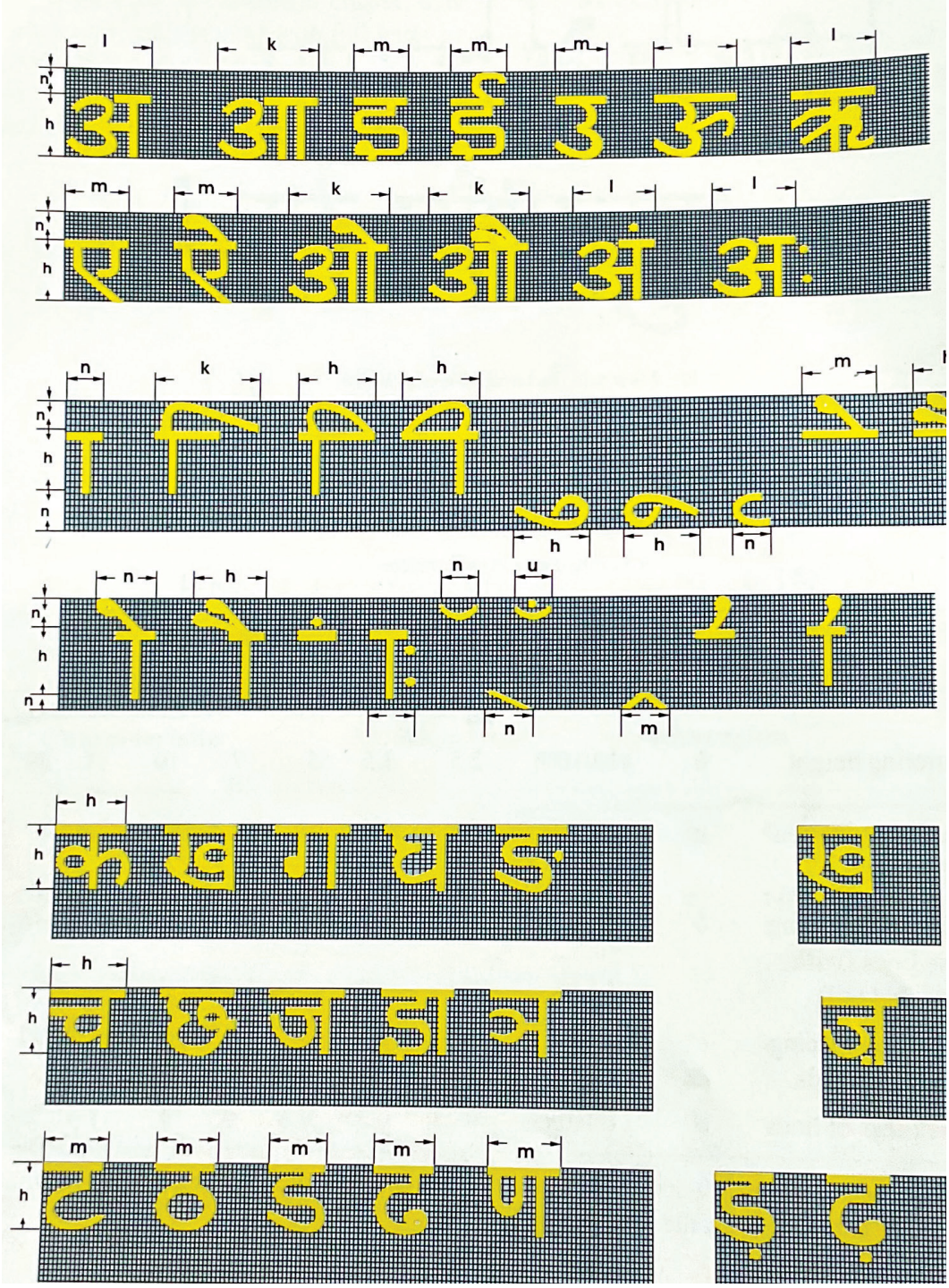
अ आ इ ई उ ऊ ऋ
ए ऐ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण

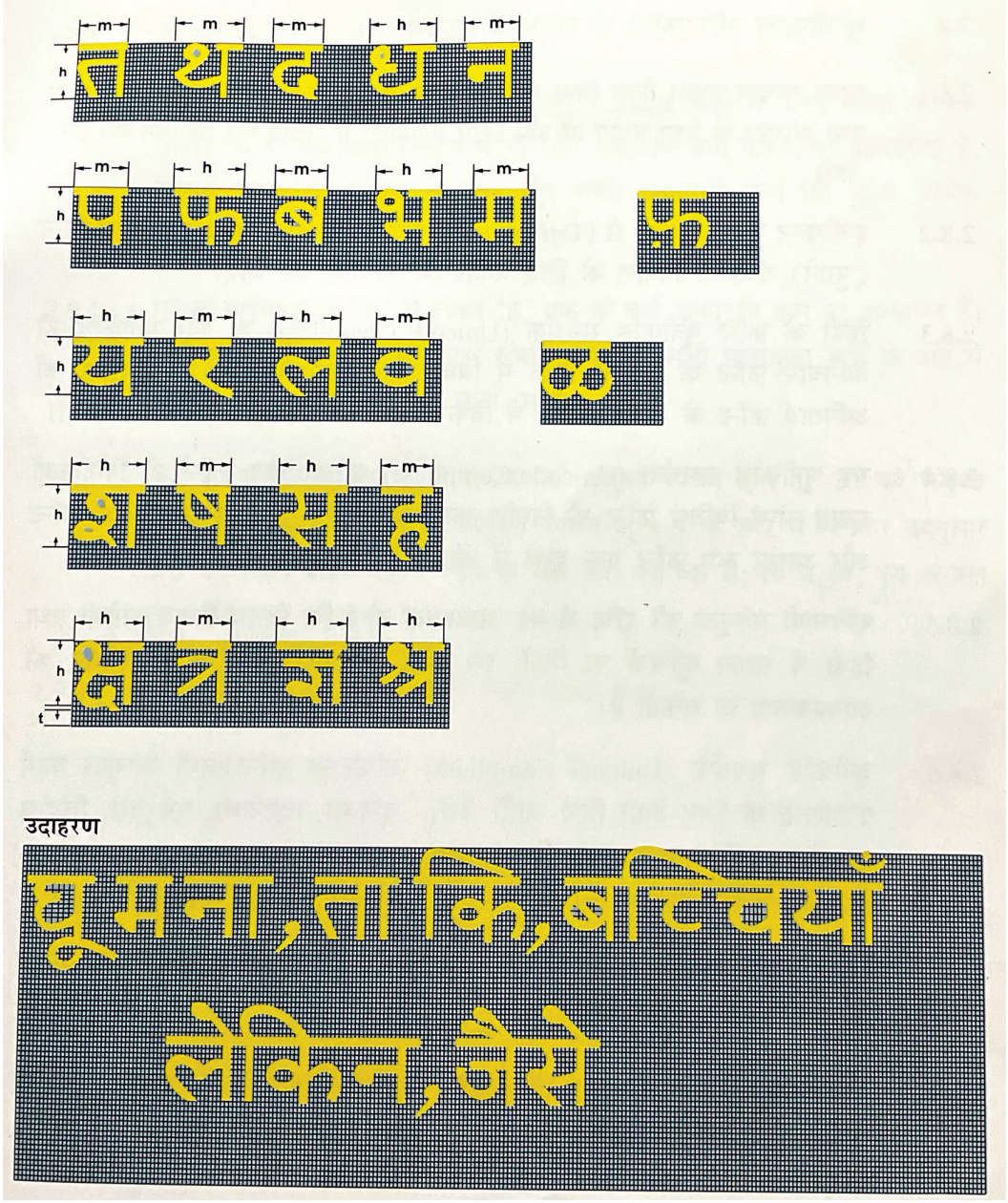

त थ द ध न
प फ ब भ म फ़
य र ल व ळ
श ष स ह
क्ष त्र ज्ञ श्र
उदाहरण
घूमना,ताकि,बच्चियाँ
लेकिन,जैसे

* * *

3. हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

3.0 किसी भी भाषा के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दो महत्त्वपूर्ण घटक हैं, व्याकरण और उसकी लिपि।

लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वनों के लिए पृथक् प्रतीक वर्णों की उपलब्धता, उनका परस्पर स्पष्ट आकार भेद, लिखावट में सरलता, स्थान - लाघव एवं प्रयत्न - लाघव। लिपि का दूसरा पक्ष है—वर्तनी। एक ही स्वन को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्णों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का एक सामान्य दोष माना जाता है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं।

इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम बनाए, जो इस प्रकार हैं—

3.1 संयुक्त वर्ण

3.1.1 खड़ी पाई वाले व्यंजन

खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ।

जैसे—ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, प्यास, त्र्यंबक, स्वीकृति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, पथ्य, डिब्बा, सभ्य, रम्य, यक्ष्मा।

'त्' को 'त' के साथ अथवा दो अर्ध 'त्' को किसी अन्य वर्ण के साथ संयुक्त करने पर परंपरागत रीति का ही अनुसरण किया जाए। जैसे—सत्ता, महत्त्व, तत्त्व।

3.1.2 अन्य व्यंजन

3.1.2.1 क और फ / फ़ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाए जाएँ, जैसे—

संयुक्त, पक्का, दफ्तर।

3.1.2.2 ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ और ह के संयुक्ताक्षर हल् चिह्न लगाकर बनाए जाएँ।

जैसे—वाङ्मय, उच्छ्वास लट्टू, बुड्ढा, चिह्न, ब्रह्मा।

लेकिन 'द' के साथ अर्धस्वर 'य' और 'व' आने पर हल् चिह्न के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को प्राथमिकता दी जाए,

जैसे—विद्या, विद्यालय, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा।

3.1.2.3 संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे,

जैसे—प्रकार, धर्म, राष्ट्र।

संयुक्ताक्षर में 'र्' यदि पहला वर्ण हो तो 'रेफ'(कर्म) में परिवर्तित होगा और दूसरा होने पर वर्ण के नीचे(क्रम) लगेगा। 'ट' और 'ड' के बाद संयुक्त होने पर 'ट्र' और 'ड्र' रूप बनता है।

3.1.2.4 '**श्र**' का यही प्रचलित रूप मान्य होगा। 'श्' के साथ 'र' के संयोग से श्र (श्रद्धा) और 'ऋ' के संयोग से शृ (शृंगार) रूप बनते हैं। त् + र के संयुक्त रूप के लिए '**त्र**' ही मानक माना जाएगा। श्र और त्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजन + र के संयुक्ताक्षर 3.1.2.3 के नियमानुसार बनेंगे। जैसे—क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि।

3.1.2.5 हल् युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षरों मे ह्रस्व 'इ' की मात्रा पूर्ण वर्ण के साथ ही मिलाकर लिखी जाए। जैसे—कुट्टिम, चिट्ठियाँ, चिह्नित, बुद्धिमान।

3.2 परसर्ग

3.2.1 हिंदी के परसर्ग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—राम ने, राम को, राम से, राम का, सेवा में।

सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग मिलाकर लिखे जाएँ। जैसे—तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे मुझको, मुझसे।

सर्वनामों के साथ यदि दो परसर्ग हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए, जैसे—उसके लिए, इसमें से।

3.2.2 सर्वनाम और परसर्ग के बीच 'ही', 'तक' आदि निपात हों तो परसर्ग को पृथक् लिखा जाए। जैसे—आप ही के लिए, मुझ तक को।

3.3 संयुक्त क्रियापद

संयुक्त क्रियापदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ, जैसे—पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं।

3.4 योजक चिह्न (-)

3.4.0 योजक चिह्न (हाइफन) का विधान स्पष्टता के लिए किया जाता है।

3.4.1 द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे—राम-लक्ष्मण, चाल-चलन, हँसी-मजाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।

3.4.2 समानता सूचक 'सा', 'से', 'सी' आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे—तुम-सा (होशियार), छुरी-सी (जुबान)।

3.4.3 तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, जैसे—भू-तत्त्व।

सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे—रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।

तत्पुरुष समास के दोनों पद जहाँ पृथक् लिखे जाते हों, वहाँ भी वे बिना योजक चिह्न के ही लिखे जाएँ। जैसे—लोक संगीत, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन।

3.4.4 जटिल संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे—द्वि-अक्षर, द्वि-अर्थ, त्रि-अक्षर आदि। किंतु, नामवाची समस्त पदों पर यह नियम लागू नहीं होगा। यथा—त्र्यंबक।

3.5 अव्यय

3.5.1 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—यहाँ तक, आपके साथ।

3.5.2 आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तक, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा, और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। अब से, तब अव्ययों के आगे परसर्ग भी आते हैं, जैसे कुछ से, यहाँ से, सदा से। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए, जैसे—आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र।

3.5.3 सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ, जैसे—श्री गंगाधर, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी। (यदि श्री जी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएँ, जैसे श्रीराम, रामजी लाल)।

3.5.4 समस्त पदों में प्रति, मात्र यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ, जैसे—प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्तमात्र यथासमय, यथोचित आदि। इस तरह बने अव्ययीभाव समास वाले पद एक ही शिरोरेखा के अंतर्गत लिखे जाएँ। उसे पृथक् रूप में लिखना संगत नहीं है। 'दस रुपये मात्र', 'मात्र दो व्यक्ति' में पदबंध की रचना है। यहाँ 'मात्र' अलग से लिखा जाए।

3.6 अनुस्वार (ं) तथा चंद्रबिंदु (ँ)

3.6.1 अनुस्वार (शिरोबिंदु)

3.6.1.1 संस्कृत शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों ('य' से 'ह' तक) से पहले यथावत् रहेगा, जैसे—संयोग, संरक्षण, संलग्न, अंश, कंस, सिंह।

3.6.1.2 संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे—पंकज, गंगा, चंचल, मंजूषा, कंठ, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि।

3.6.1.3 यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे—उन्मुख, वाङ्मय, अन्य, चिन्मय।

3.6.1.4 पंचम वर्ण यदि द्वित्व रूप में (साथ-साथ) आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे—अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि।

3.6.1.5 संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग 'म्' का सूचक है, जैसे—अहं (अहम्) एवं (एवम्) शिवं (शिवम्)।

3.6.2 चंद्रबिंदु (अनुनासिकता का चिह्न)

3.6.2.1 हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा।

3.6.2.2 अनुनासिक चिह्न व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण है। उदाहरण—आँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, माँगें।

3.6.2.3 चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्राय: अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है, जैसे—हंस/ हँस, अंगना/ अँगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।

3.6.2.4 हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल तद्भव और देशज शब्दों के साथ होता है। जैसे—आँख, चाँद, आँत, दाँत, गाँठ।

3.6.2.5 अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु के प्रयोग में आधारभूत अंतर

अनुस्वार और चंद्रबिंदु के प्रयोग को लेकर बहुधा भ्रम की स्थिति रहती है और इसलिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और कभी-कभी तो पाठ्यपुस्तकों में भी अनुनासिक के स्थान पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है।

(क) इन नासिक्य व्यंजनों (ङ, ञ, ण, न, म) के बाद यदि कोई सवर्गीय वर्ण आए तो नासिक्य व्यंजन अनुस्वार के रूप में अपने पूर्ववर्ती वर्ण के ऊपर आ जाते हैं।

जैसे—चञ्चल > चंचल; गङ्गा > गंगा; पण्डित > पंडित।

(ख) वहीं हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी में देशज और तद्भव शब्दों में प्रयोग किया जाता है।

जैसे—आँख, माँ, साँस, यहाँ, वहाँ, हँसना।

ऐसे शब्दों में जहाँ स्वरमात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर लगती हों वहाँ स्थानलाघव के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है।

जैसे—मे + ँ = में। इसी प्रकार खिंचाई, खींचना, बेंत, भैंस, चोंच, भौंरा इत्यादि।

हिंदी में अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत एवं ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में चंद्रबिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे—लड़कियाँ, लताएँ, चींटियाँ, नदियाँ, महिलाएँ, ऋतुएँ, वस्तुएँ, वधुएँ, रीतियाँ।

(ग) अनुस्वार और चंद्रबिंदु की उच्चारण प्रक्रिया भिन्न है। अनुस्वार में प्रश्वास जहाँ नासिका से निकलता है, वहीं अनुनासिक में नासिका और मुँह दोनों से निकलता है।

3.7 विसर्ग (:)

3.7.1 संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे शब्द संधि या समास के साथ तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए, जैसे—दु:खानुभूति, दु:खार्त, दु:खांत। यदि हिंदी में गृहीत तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो विसर्ग के बिना ही लिखा जाएगा, जैसे—दुख-सुख के साथी।

3.7.2 तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे—अत:, पुन:, स्वत:, प्राय:, पूर्णत:, मूलत:, अंतत:, वस्तुत:, क्रमश:।

3.7.3 ऐसे संधि स्थलों को छोड़कर जहाँ स, श का द्वित्व हो रहा हो विसर्ग ही लिखा जाएगा। स, श के द्वित्व वाले शब्दों में संधियुक्त रूप ही ग्राह्य होगा। यथा : निस्स्वार्थ, निश्शेष, निस्संतान आदि।

3.7.3.1 शेष स्थानों पर यथा अंत:करण, अंत:पुर, आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएँगे।

3.7.4 विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कॉलन-चिह्न (उपविराम) शब्द से कुछ दूरी पर हो, जैसे—प्रात: (विसर्गयुक्त शब्द)। फूल के पर्यायवाची हैं—सुमन, कुसुम।

3.8 हल् चिह्न (्)

3.8.1 व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन है।

3.8.2 संयुक्ताक्षर बनाने के नियम 3.1.2.2 के अनुसार छ, ट, ठ, ड, ढ, ह में हल् चिह्न का प्रयोग होगा, जैसे—चिह्न और बुड्ढा।

3.8.3 शब्दों के अंत में आने वाला 'हल्' चिह्न हिंदी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। अत: महान, राजन, तेजस, ओजस, जैसे शब्दों में 'हल्' चिह्न का प्रयोग नहीं होगा। किंतु, इन सभी हलंत शब्दों के व्याकरणिक प्रयोग में नियमों की समुचित व्याख्या के लिए हल् चिह्न से दर्शाया जा सकेगा। जैसे—'जगत' शब्द हिंदी में सामान्यत: बिना हल् चिह्न के ही लिखा जा सकेगा किंतु, 'जगदीश' शब्द के संधि विच्छेद को दर्शाने के लिए 'जगत् + ईश' में इसे हल् चिह्न के साथ दर्शाया जाएगा।

3.8.3.1 संस्कृत से लिए गए अव्ययों में हल् चिह्न मूल भाषा के अनुसार अपरिवर्तित रहेगा। जैसे—अर्थात्, आत्मसात्, पश्चात्, अकस्मात्, प्राक्। मकारांत अव्यय में 'म्' के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाएगा। यथा : स्वयम् - स्वयं; सायम् - सायं

कतिपय अव्ययेतर शब्द भी हल् चिह्न के साथ लिखे जाएँगे।

जैसे—वाक् (वाक्पटु), भगवत् (श्रीमद्भगवद्गीता)

3.9 अवग्रह (ऽ)

संस्कृत पदों में संधि के 'अ' वर्ण के लोप को संकेतित करने के लिए अवग्रह चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे—सोऽहं, शिवोऽहं आदि।

3.10 स्वन परिवर्तन

3.10.1 तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए।

3.11 'ऐ', 'औ' का प्रयोग

3.11.1 हिंदी में ऐ (है), औ (लौ) का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होता है जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण गैया, नैया, भैया, कौवा आदि जैसे शब्दों में संध्यक्षरों (diphtongs) के रूप में आज भी प्रचलित है। नियमानुसार 'य' के पहले 'ऐ' होने से उसका उच्चारण 'अई' के रूप में होगा और 'व' के पहले 'औ' होने पर उसका उच्चारण 'अउ' के रूप में होगा। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिह्नों (ऐ, औ) का प्रयोग किया जाए। अन्य उदाहरण हैं—भैया, सैयद, तैयार, हौवा आदि।

3.11.2 दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्तिनामों/कुलनामों को मूल भाषा के अनुरूप लिखा जाए।

3.11.3 अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत् रखा जाए।

3.12 पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर'

3.12.1 पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे—पाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि। कर + कर के संयोग से 'करके' और करा + कर के संयोग से 'कराके' बनेगा।

3.13 'वाला' प्रत्यय

3.13.1 क्रिया रूपों में 'करने वाला', 'आने वाला', 'बोलने वाला' आदि को अलग लिखा जाए, जैसे—मैं घर जाने वाला हूँ, जाने वाले लोग।

3.13.2 संज्ञा और विशेषण के योजक प्रत्यय के रूप में 'घरवाला', 'टोपीवाला' (टोपी बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएँगे। 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में 'वाला' निर्देशक शब्द है। अत: इसे अलग से ही लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी 'वाला' अलग लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं। जैसे—गाँववाला - (ग्रामीण)

गाँव वाला मकान - (गाँव का मकान)

3.14 श्रुतिमूलक 'य', 'व'

3.14.1 क्रिया रूपों में श्रुतिमूलक 'य' और 'व' स्वर के रूप में ही प्रस्तुत हों जबकि शेष में 'य' और 'व' ही लगाया जाए।

जैसे—'जाना' क्रिया - गया - गई - गए;

लेकिन अन्यथा 'य' का प्रयोग—'नया' विशेषण - नया - नयी - नये

क्रिया पदों में भूतकाल में स्त्रीलिंग के लिए 'ई' प्रत्यय और भूतकाल पुल्लिंग बहुवचन अथवा आदरार्थक बहुवचन के लिए 'ए' प्रत्यय लगाए जाने का नियम है। जहाँ श्रुतिमूलक 'य' व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे—स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व।

श्रुतिमूलक 'व' का रूप हिंदी के क्रियेतर पदों (संज्ञा, विशेषण आदि) में ही होता है। इनमें लिंग एवं वचन के कारण बनने वाले विविध रूपों में 'व' का ही प्रयोग किया जाए।
जैसे—कौवा—कौवे—कौवों और स्त्रीलिंग में कौवी। इसी प्रकार पौवा—पौवे—पौवों।

3.15 आगत शब्द

3.15.1 उर्दू शब्द

उर्दू से आए अरबी-फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे—कलम, किला, दाग। नुक्ता हिंदी में प्रचलित नहीं है। अत:, देवनागरी की मूल हिंदी वर्णमाला में नुक्ते को नहीं रखा जाना चाहिए।

उर्दू के जो शब्द हिंदी ने आत्मसात् कर लिए हैं, वहाँ नुक्ते के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है। उर्दू के मूल पाठ/साहित्य का लिप्यंतरण करने में नुक्ता का प्रयोग चलता रहेगा।

3.15.2 अंग्रेजी शब्द

अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र (ॅ) का प्रयोग किया जाए, जैसे—कॉलेज, हॉल, मॉल, टॉकीज, ऑफिस।

सभी विदेशी भाषाओं से आगत शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण यथासंभव विदेशी भाषाओं के मानक उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए।

3.16 अन्य नियम

3.16.1 शिरोरेखा (overhead line) का प्रयोग आवश्यक है।

3.16.2 पूर्ण विराम (फुलस्टॉप) को छोड़कर हिंदी में शेष विरामादि चिह्न वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं, जैसे—योजक चिह्न (-), निर्देशक चिह्न (—), विवरण चिह्न (:—), अल्पविराम (,), अर्धविराम (;), उपविराम (:), प्रश्न चिह्न (?), विस्मयादिसूचक चिह्न (!), अपोस्ट्रॉफी/ऊर्ध्व अल्पविराम (‘), उद्धरण-चिह्न (“ ”), शब्द-चिह्न (‘ ’), तीनों कोष्ठक (( ), {}, []), लोप चिह्न (...), संक्षेपसूचक चिह्न (०), हंसपद (^)।

* * *

4. हिंदी के संख्यावाचक शब्दों की एकरूपता

4.0 हिंदी प्रदेशों में संख्यावाचक शब्दों के उच्चारण और लेखन में प्राय: **एकरूपता** का अभाव दिखाई देता है। इसीलिए एक से सौ तक सभी **संख्यावाचक** शब्दों पर विचार करने के बाद इनका जो मानक रूप स्वीकृत हुआ, वह इस प्रकार है—

4.1 संख्यावाचक शब्द

एक	ग्यारह	इक्कीस	इकतीस	इकतालीस	इक्यावन	इकसठ	इकहत्तर	इक्यासी	इक्यानवे
दो	बारह	बाईस	बत्तीस	बयालीस	बावन	बासठ	बहत्तर	बयासी	बानवे
तीन	तेरह	तेईस	तैंतीस	तैंतालीस	तिरपन	तिरसठ	तिहत्तर	तिरासी	तिरानवे
चार	चौदह	चौबीस	चौंतीस	चौवालीस	चौवन	चौंसठ	चौहत्तर	चौरासी	चौरानवे
पाँच	पंद्रह	पच्चीस	पैंतीस	पैंतालीस	पचपन	पैंसठ	पचहत्तर	पचासी	पचानवे
छह	सोलह	छब्बीस	छत्तीस	छियालीस	छप्पन	छियासठ	छिहत्तर	छियासी	छियानवे
सात	सत्रह	सत्ताईस	सैंतीस	सैंतालीस	सत्तावन	सड़सठ	सतहत्तर	सतासी	सत्तानवे
आठ	अठारह	अट्ठाईस	अड़तीस	अड़तालीस	अट्ठावन	अड़सठ	अठहत्तर	अठासी	अट्ठानवे
नौ	उन्नीस	उनतीस	उनतालीस	उनचास	उनसठ	उनहत्तर	उनासी	नवासी	निन्यानवे
दस	बीस	तीस	चालीस	पचास	साठ	सत्तर	अस्सी	नब्बे	सौ
हजार	लाख	करोड़	अरब	खरब					

4.2 क्रमसूचक संख्याएँ (Ordinal Numbers)

पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवाँ छठा सातवाँ आठवाँ नवाँ दसवाँ

4.3 भिन्नसूचक संख्याएँ (Fractional Numbers)

एक चौथाई	¼	सवा दो	2¼
आधा	½	ढाई	2½
पौन	¾	पौने तीन	2¾
सवा	1¼	सवा तीन	3¼
डेढ़	1½	साढ़े तीन	3½
पौने दो	1¾		

4.4 समय के लिए

पौन बजा है	अर्थात्	12.45
सवा बजा है	अर्थात्	01.15
डेढ़ बजा है	अर्थात्	01.30
पौने दो बजे हैं	अर्थात्	01.45
सवा दो बजे हैं	अर्थात्	02.15
ढाई बजे हैं	अर्थात्	02.30
पौने तीन बजे हैं	अर्थात्	02.45
साढ़े तीन बजे हैं	अर्थात्	03.30

* * *

5. अनुच्छेद विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों का प्रयोग

5.0 अनुच्छेद विभाजन में सूचक वर्णों तथा अंकों के प्रयोग के संबंध में यह निर्णय किया गया कि A, B, C अथवा a, b, c के लिए हिंदी में सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। जहाँ रोमन वर्ण कोष्ठक में हों, वहाँ देवनागरी वर्णों को भी कोष्ठकों में रखा जाए। विषय के विभाजन, उपविभाजन, अनुच्छेदों या उपानुच्छेदों के लिए अंतरराष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 के प्रयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन अंकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त पद्धति को निम्नलिखित नमूने के उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है—

I. वर्णविचार	1.0
क. स्वर	1.1
1. स्वर की परिभाषा	1.1.1
2. स्वर-भेद	1.1.2
1. रचना के अनुसार	1.1.2.1
(i) मूल (एकस्वरक)	1.1.2.1.1
(ii) दीर्घीकृत	1.1.2.1.2
(क) दीर्घ	1.1.2.1.2.1
(ख) प्लुत	1.1.2.1.2.2
(iii) संध्यक्षर	1.1.2.1.3
2. अनुनासिकता के आधार पर	1.1.2.2
(i) मौखिक/निरनुनासिक	1.1.2.2.1
(ii) अनुनासिक	1.1.2.2.2
(ख) व्यंजन	1.2
II. शब्दविचार	2.0
III. वाक्यविचार	3.0
IV. रचना	4.0

* * *

आज़ादी का अमृत महोत्सव

परिशिष्ट

पुस्तक के पूर्व संस्करणों से संबद्ध विशेषज्ञ

श्री अक्षय कुमार जैन	भूतपूर्व संपादक, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
डॉ. इंद्रनाथ चौधरी	अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद
डॉ. ई. पांडुरंग राव	निदेशक (हिंदी), संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
डॉ. ए. चंद्रशेखर	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. एन. एन. बवेजा	भाषाविद
श्री एन. के. तोशखानी	भाषाविद
प्रो. एन. नागप्पा	भूतपूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
डॉ. एम. के. जेतली	रीडर, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. कृष्णगोपाल रस्तोगी	प्रोफेसर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
डॉ. कैलाशचंद्र भाटिया	प्रोफेसर, हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाएँ, ला.ब.शा. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
प्रो. गुरुबख्श सिंह	भाषाविद
श्री गोलोक बिहारी धळ	भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राजकीय कॉलेज, पुरी (ओडिशा)
डॉ. छैलबिहारी गुप्त	अलीगढ़
डॉ. जे. एल. रेड्डी	दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली
प्रो. जोगेंद्र सिंह सोंधी	भाषाविद
प्रो. टी.पी. मीनाक्षीसुंदरन्	भूतपर्व कुलपति, मदुरै विश्वविद्यालय, मदुरै
श्री देवराज	प्रतिनिधि, हिंदी प्रकाशन संघ, दिल्ली

प्रो. देवेंद्रनाथ शर्मा	भूतपूर्व अध्यक्ष, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना
श्री नंदकुमार अवस्थी	संचालक, भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ
डॉ. नगेंद्र	भूतपूर्व प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. पी.बी. पंडित	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री पृथ्वीनाथ पुष्प	अध्यक्ष, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, श्रीनगर
डॉ. बाबूराम सक्सेना	भूतपूर्व कुलपति, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
डॉ. बालगोविंद मिश्र	निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
डॉ. बी.पी. कोलते	अध्यक्ष, मराठी विभाग, नागपुर विश्वविद्यालय
डॉ. भोलानाथ तिवारी	रीडर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. मसूद हुसैन खाँ	भूतपूर्व कुलपति, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली
डॉ. मोहनलाल सर	पूर्व प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव	प्रोफेसर, भाषाविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री लोकनाथ भराली	क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, गुवाहाटी
डॉ. विद्यानिवास मिश्र	निदेशक, क.मुं. हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा
डॉ. विश्वनाथ प्रसाद	प्रतिनिधि, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी
डॉ. सविता जाजोदिया	संपादक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
डॉ. सुकुमार सेन	भूतपूर्व प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता
डॉ. हरदेव बाहरी	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
प्रो. वी.रा. जगन्नाथन	पूर्व प्रोफेसर (हिंदी), इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. अशोक चक्रधर	साहित्यकार, नई दिल्ली
डॉ. ओमविकास	वरिष्ठ निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
प्रो. सूरजभान सिंह	सलाहकार, सी-डैक तथा पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली
डॉ. रामशरण गौड़	पूर्व सचिव, हिंदी अकादमी, नई दिल्ली

श्री विजय कुमार मल्होत्रा	पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
प्रो. जगदीश चंद्र शर्मा	भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर
प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी	प्रोफेसर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
प्रो. श्रीशचंद्र जैसवाल	केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली
प्रो. रामजन्म शर्मा	एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
प्रो. दिलीप सिंह	दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, धारवाड़
प्रो. अश्विनी कुमार श्रीवास्तव	केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
डॉ. हेमंत दरबारी	प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, सी-डैक, पुणे
डॉ. प्रभात कुमार	प्रबंधक, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
डॉ. बालकृष्ण राय	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली
डॉ. हेमंत जोशी	भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
श्री उमेश प्रसाद साहू	सचिव, ओडिशा हिंदी परिवेश, कटक
श्री ब्रजसुंदर पाढ़ी	सचिव, हिंदी शिक्षा समिति, ओडिशा
डॉ. नरेंद्र व्यास	भाषाविद
डॉ. ठाकुरदास	भाषाविद
विदेश मंत्रालय	
श्री हरिवंश राय बच्चन	भूतपूर्व विशेषाधिकारी (हिंदी)
विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय	
श्री बालकृष्ण	भूतपूर्व कार्यकारी सचिव, राजभाषा विधायी आयोग
श्री ब्रजकिशोर शर्मा	संयुक्त सचिव, राजभाषा स्कंध, राजभाषा विधायी आयोग
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	
श्री हृदय नारायण अग्रवाल	प्रतिनिधि
श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार	प्रतिनिधि
गृह मंत्रालय	
श्री रमाप्रसन्न नायक	भूतपूर्व हिंदी सलाहकार
श्री मुनीश गुप्त	भूतपूर्व संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
श्री हरिबाबू कंसल	भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग
श्री राजकृष्ण बंसल	भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग

श्री रामेश्वर प्रसाद मालवीय	भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
श्री काशीराम शर्मा	भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	
डॉ. कपिला वात्स्यायन	भूतपूर्व अपर सचिव
श्री कृष्णदयाल भार्गव	भूतपूर्व उपसचिव
श्री पी.एन. नाटू	भूतपूर्व उपसचिव
अन्य विशेषज्ञ	
डॉ. ब्रजेंद्र त्रिपाठी	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
प्रो. प्रमोद पांडेय	विभागाध्यक्ष, भाषा संस्थान, जे.एन.यू, नई दिल्ली
डॉ. उमा बंसल	सहायक निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, वसंतकुंज, नई दिल्ली
डॉ. परमानंद पांचाल	नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली
डॉ. मोहिनी हिंगोरानी	निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली
प्रो. टी.एन. शुक्ल	हिंदी विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश
प्रो. आत्मप्रकाश श्रीवास्तव	डीन, अनुवाद विद्यापीठ, महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र
डॉ. एम. शेषन	भाषाविद, चेन्नई, तमिळनाडु
डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र	संपादक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना
प्रो. के.एल. वर्मा	हिंदी विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
डॉ. जे. रामचंद्रन नायर	केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरुवनंतपुरम
डॉ. दिनेश चौबे, रीडर	हिंदी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय
डॉ. स्वर्णलता	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली
डॉ. वी.रा. राल्ते	निदेशक, यू.एच.सी.सी., आइजोल, मिजोरम
डॉ. अरुण होता	पं. बंगाल राज्य विश्वविद्यालय, कोलकाता–700126
प्रो. जयसिंह नीरद	क.मु. हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, आगरा
डॉ. सुधांशु नायक	हिंदी विभाग, खलीकोड कॉलेज, गंजाम, ओडिशा संताली विशेषज्ञ
प्रो. कृष्णचंद्र टुडु	संताली विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची
डॉ. धनेश्वर माँझी	संताली विभाग, विश्वभारती शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल

डॉ. ठाकुर प्रसाद मुर्मू	संताली विभाग, सी.आई.आई.एल., मैसूर
प्रो. बिरबल हेम्ब्रम	बहरागोड़ा कॉलेज, झारखंड
डॉ. रमणिका गुप्ता	संपादक 'आम आदमी', नई दिल्ली
डॉ. शशि शेखर तोशखानी	कश्मीरी भाषाविद, नई दिल्ली
डॉ गौरीशंकर रैना	दूरदर्शन, दिल्ली
डॉ. रामनाथ भट्ट	भाषाविद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस, उत्तर प्रदेश
श्री बी.एन. बेताब	आकाशवाणी, दिल्ली
डॉ. सीतेश आलोक	हिंदी लेखक एवं समीक्षक, नई दिल्ली, भाषाविद
डॉ. गुरचरण सिंह	उपाचार्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पंजाबी भाषा विशेषज्ञ
प्रो. मनजीत सिंह	पंजाबी विभाग
प्रो. पीतांबर ठाकवाणी	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पंजाबी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. रत्नोत्तमा दास	सेवानिवृत्त प्रोफेसर (अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान), केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, सिंधी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. श्रीता मुखर्जी	असिस्टेंट प्रोफेसर, दयाल सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, बांग्ला भाषा विशेषज्ञ
डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम	पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, तमिळ एवं मलयाळम भाषा विशेषज्ञ
डॉ. जी. राजगोपाल	एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, तमिळ भाषा विशेषज्ञ
प्रो. टी.एस. सत्यनाथ	सेवानिवृत्त प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, कन्नड़ भाषा विशेषज्ञ
डॉ. वेंकटरामय्या	असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, तेलुगु भाषा विशेषज्ञ
श्री उमाकांत खुबालकर	सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, वै.त.श. आयोग, नई दिल्ली, मराठी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. भगत दशरथ तुकाराम	पोस्ट डॉक्टरेट (मराठी), दिल्ली, मराठी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. राजेंद्र मेहता	असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, गुजराती भाषा विशेषज्ञ

डॉ. रूपकृष्ण भट्ट	सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, कश्मीरी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. जितेंद्रनाथ मुरमु	सी.एम.ओ. (एन.एफ.एस.जी.), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली, संताली भाषा विशेषज्ञ
डॉ. गंगेश गुंजन	सेवानिवृत्त निदेशक, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली, मैथिली भाषा विशेषज्ञ
डॉ. कामिनी कामायनी	लेखिका (हिंदी एवं मैथिली), नई दिल्ली, मैथिली भाषा विशेषज्ञ
प्रो. देवशंकर नवीन	भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, मैथिली भाषा विशेषज्ञ
डॉ. मोहन सिंह	लेखक, जम्मू, डोगरी भाषा विशेषज्ञ
प्रो. शिवदेव सिंह मन्हास	डोगरी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, डोगरी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. चंद्रलेखा डिसौज़ा	एसोसिएट प्रोफेसर, गोवा विश्वविद्यालय, गोवा, कोंकणी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. स्नेहलता शरेशचंद्र	सेवानिवृत्त प्राध्यापिका, धारवाड़, कर्नाटक, कोंकणी भाषा विशेषज्ञ
डॉ. सी. प्रमोदिनी	एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, मणिपुरी भाषा विशेषज्ञ
प्रो. इर्तेजा करीम	निदेशक, उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली, उर्दू भाषा विशेषज्ञ
डॉ. अब्बास रजा नैय्यर	एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र.
डॉ. बलदेवानंद सागर	सेवानिवृत्त संस्कृत समाचार प्रसारक, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, नई दिल्ली, संस्कृत भाषा विशेषज्ञ
श्री विष्णु बहादुर गुरुंग	अनुवादक-उद्घोषक, नेपाली एकांश, विदेश प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, नई दिल्ली
डॉ. विजयकुमार मोहंती	सेवानिवृत्त हिंदी प्राध्यापक, बालेश्वर, ओडिशा, ओडिआ भाषा विशेषज्ञ
श्री भारत बसुमतारी	समाचार वाचक, आकाशवाणी, नई दिल्ली, बोडो भाषा विशेषज्ञ
श्री मनोज जैन	निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लोधी रोड, नई दिल्ली, कंप्यूटर विशेषज्ञ
श्री करुणेश कुमार अरोड़ा	संयुक्त निदेशक, सी-डेक, नोएडा, कंप्यूटर विशेषज्ञ
श्री परमानंद पांचाल	भूतपूर्व विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रपति, भारत

प्रोफेसर ठाकुर दास	केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
प्रोफेसर कृष्ण कुमार गोस्वामी	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
प्रोफेसर नरेश मिश्र	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
प्रोफेसर पूरन चंद टंडन	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
श्री पंकज चतुर्वेदी	संपादक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
श्री प्रभात कुमार	
प्रोफेसर ओम विकास	
डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	
श्री श्रीनारायण सिंह	
श्री जसजीत सिंह	
श्री जितेंद्र कुमार सिंह	
श्री अमलेश्वर पाराशर	
श्री संत समीर	
श्री अनिल वर्मा	

* * *

आमुख से साभार

संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत् सन् 1960 में जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई तब हिंदी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ निदेशालय को हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का अधिदेश भी सौंपा गया था। यही कारण है कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण को लेकर अब तक निदेशालय द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं, भाषा प्रयोक्ताओं द्वारा उन्हें सहर्ष स्वीकृति दी जाती रही है। आज हिंदी न केवल भारत की संपर्क भाषा है, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्वीकार्यता और तकनीकी सुदृढ़ता के कारण विश्व भाषा बनने की ओर भी अग्रसर है। ऐसे में उसकी वर्तनी तथा लिपि में एकरूपता लाना तथा मानकीकरण हेतु निर्धारित नियमों को अद्यतन करना अत्यंत प्रासंगिक और अपरिहार्य बन गया है।

प्रो. सुनील बाबुराव कुळकर्णी
प्रधान संपादक

केंद्रीय हिंदी निदेशालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार
पश्चिमी खंड 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली
दूरभाष : 011-26105211

सत्यमेव जयते

CENTRAL HINDI DIRECTORATE
Department of Higher Education
Ministry of Education
Government of India
West Block-7
R K Puram, New Delhi

www.chd.education.gov.in
www.chdpublication.education.gov.in